"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च 2023 — चैत्र 1, शक 1945

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 (चैत्र 1, 1945)

क्रमांक – 3778/वि.स./विधान/2023. – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) जो बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ लगाया जायेगा कि वह इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 16 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) की धारा 16 में,–

(क) उपधारा (2) में,–

(एक) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हो ;"

(दो) खंड (ग) में, शब्द तथा अंक "या धारा 43क" का लोप किया जाये।

(ख) उपधारा (4) में, शब्द तथा अंक "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख" के स्थान पर, शब्द, "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 29 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,–

(क) खंड (ख) में, शब्द "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी" के स्थान पर, शब्द "उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) खंड (ग) में, शब्द "लगातार छः मास की अवधि तक" के स्थान पर, शब्द "ऐसी लगातार कर अवधि तक, जो विहित की जाएं," प्रतिस्थापित किया जाये ।

धारा 34 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, शब्द "सितंबर मास" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 37 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की की धारा 37 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "'इलैक्ट्रानिक रूप में" के स्थान पर, शब्द "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में और" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) शब्द "उक्त प्रदायों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे:" के स्थान पर, शब्द "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगें" प्रतिस्थापित किया जाये;

(तीन) प्रथम परंतुक का लोप किया जाए;

(चार) द्वितीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु" प्रतिस्थापित किया जाये;

(पांच) तृतीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह भी कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह और कि" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाये;

(ग) उपधारा (3) में,–

(एक) शब्द तथा अंक "जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे–मिलान रह गए है," का लोप किया जाये;

(दो) पहले परंतुक में, शब्द "सितंबर मास" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित किया जाये;

(घ)उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाये, अर्थात् :–

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए है:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी, जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।"

धारा 38 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :–

"**38. आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.**– (1) धारा 37 की उपधारा (1) के

अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसी अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रुप से उपलब्ध करवाएं जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण में सम्मिलित होंगेः–

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके; तथा

(ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ, प्राप्तकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,–

(एक) रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ; या

(दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाये, निरंतर रहा है; या

(तीन) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के

दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है; या

(चार) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से, खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए ; या

(पांच) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है ; या

(छः) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं।"

धारा 39 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 39 में,–

(क) उपधारा (5) में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "तेरह" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उपधारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,–

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के

अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम,

का संदाय करेगा ।"

(ग) उपधारा (9) में,–

(एक) शब्द तथा अंक "धारा 34 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि" के स्थान पर, शब्द "जहाँ" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) परंतुक में, शब्द "सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित किया जाये;

(घ) उपधारा (10) में, शब्द "विवरणी नहीं दी गई है।" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए है :

परंतु सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों ।"

धारा 41 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :–

"**41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग.**–(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, अपनी विवरणी में स्व–निर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, लागू ब्याज के साथ उत्क्रमित किया जायेगा :

परंतु जहाँ उक्त पूर्तिकर्ता, पूर्वोक्त पूर्ति के संबंध में संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा उत्क्रमित जमा की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा ।"

धारा 42, 43 और 43क का लोप.

9. मूल अधिनियम की धारा 42, 43 और 43क का लोप किया जाये।

धारा 47 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में,–

(क) शब्द "या अंतर्गामी" का लोप किया जाये;

(ख) शब्द तथा अंक "या धारा 38" का लोप किया जाये; तथा

(ग) शब्द तथा अंक "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 52" अंतःस्थापित किया जाये ।

धारा 48 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, शब्द तथा अंक "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे" का लोप किया जाये।

धारा 49 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 49 में,–

(क) उपधारा (2) में, शब्द तथा अंक "या धारा 43क" का लोप किया जाये;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "ऐसी शर्तों" के पश्चात्,, शब्द "और निर्बंधनों" अंतःस्थापित किया जाये;

(ग) उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट

कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, इलेक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा ।"

धारा 50 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाये और जो भूतलक्षी प्रभाव से 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित समझी जायेगी, अर्थात्:–

"(3) जहाँ इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, शासन द्वारा, परिषद् की अनुशंसाओं पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।"

धारा 52 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, शब्द "सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित किया जाये ।

धारा 54 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 54 में,–

(क) उपधारा (1) के परंतुक में, शब्द तथा अंक "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "छः मास" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) उपधारा (10) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "उपधारा (3) के अधीन" का लोप किया जाये;

(घ) उपधारा (14) के स्पष्टीकरण के सरल क्रमांक (2) की प्रविष्टि (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाये, अर्थात्:––

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहाँ, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति

या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण करने हेतु उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था।

और यतः, छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) में आगतकर प्रत्यय दिये जाने के प्रावधान को अधिक कठोर करने हेतु, आगत कर प्रत्यय लेने को, करदाता को संसूचित ब्यौरों की सीमा तक निर्बंधित करने की आवश्यकता है, ताकि गलत आगतकर प्रत्यय को रोका जा सके, साथ ही आगतकर कर प्रत्यय लिये जाने की समय–सीमा में विस्तार एवं तत्संबंधी तिथि नियत करने की भी आवश्यकता है, परिणामस्वरूप प्रत्यय नोट जारी करने की समय–सीमा में भी सुसंगत परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, जावक आपूर्ति के ब्यौरों को अवधि–वार क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने एवं ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत किये जाने को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए शर्त के रूप में उपबंधित करने, विवरणी प्रस्तुत करने में दो–तरफा संचार संबंधी उपबंधों को समाप्त करने, आगतकर प्रत्यय का गलत उपयोग या उपभोग पर ब्याज उद्ग्रहित करने एवं ब्याज की संगणना की रीति विहित करने हेतु 01 जुलाई, 2017 की भूतलक्षी प्रभावशीलता से तत्संबंधी उपबंध करने की आवश्यकता है।

और यतः, संशोधन का उद्देश्य निम्नानुसार है :–

(एक) आगत कर प्रत्यय उपलब्ध करने हेतु कतिपय शर्तें जोड़ा जाना।

(दो) आगामी वित्तीय वर्ष के नवंबर माह के 30 वें दिन तक क्रेडिट नोट जारी किये जाने के लिए सुविधा प्रदान करना।

(तीन) मासिक भुगतान एवं त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुतकर्ता के लिए प्ररूप, रीति एवं समय में परिवर्तन किया जाना।

(चार) आगत कर प्रत्यय का दावा एवं उत्क्रम की रीति निर्धारित करना।

(पांच) धारा 42, 43 एवं 43क को विलोपित करना।

(छः) धारा 50(3) में भूतलक्षी प्रभाव से रीति विनिर्दिष्ट करना।

उपरोक्त प्रयोजन के लिये और साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम, 2022 के माध्यम से पूर्व में किए गए संशोधन के अनुक्रम में, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) में सुसंगत संशोधन करना प्रस्तावित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

टी.एस. सिंहदेव
वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 20 मार्च, 2023

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 के खंड– 3, 5, 6, 7, 8, 12 एवं 13 में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन की संस्थापनायें है, जो सामान्य स्वरूप की है।

उपाबंध

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) से उद्धरण

अध्याय 5
इनपुट कर प्रत्यय

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें

16. (2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,—

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नाम नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो ;

(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बर्हिगामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए है।

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है–

(एक) जहां माल का प्रदाय किसी प्रदायकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो,

(दो) जहां सेवा का प्रदाय, प्रदायकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर और उसके मद्दे किया जाता है।

(ग) धारा 41 या धारा 43क के उपंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया गया हो ; और

(घ) उसने धारा 39 के अधीन विवरणी न दी हो ;

परंतु जहां माल किसी बीजक के विरूद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर संदाय करने

मे असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् माॅल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

* * * * * *

अध्याय 6
रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन

29. (2) समुचित अधिकारी, ऐसी तारीख, किसी भूतलक्षी तारीख सहित जैसा वह उचित समझे, से किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां---

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जैसा विहित किया जाए, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है ; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नही दी है ; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति ने भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छः मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है ; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छः मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है ; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है ;

परंतु समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ";"

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, निलंबित कर सकेगा।

* * * * * *

अध्याय 7
कर बीजक, प्रत्यय और विकलन टिप्पण

जमा और नामे पत्र.

34. (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है, ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है परंतु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी प्रदाय की गई थी, के अंत के पश्चात् सितंबर मास से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा :

परंतु यदि ऐसी प्रदाय पर कर और ब्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

* * * * * *

अध्याय 9
विवरणियां

जावक प्रदायों के ब्यौरे देना.

37. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में, जो विहित की जाए, माल या सेवाओं या दोनों की कर अवधि के दौरान की गई जावक प्रदायों के ब्यौरे उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन को या उसके पूर्व देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त प्रदायों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के ग्यारहवें दिन से पन्द्रहवें दिन तक की अवधि के दौरान जावक प्रदायों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा, जो उसमें विनिर्दिष्ट किएं जाएं:

परंतु यह भी कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक प्रदायों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 17वें दिन को या उसके पूर्व, किन्तु 15वें दिन से पूर्व न हो, इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे तद्नुसार संशोधित होंगे।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे–मिलान रह गए है, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर, ऐसी त्रुटि या लोप का एसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम

संदाय हुआ है तो कर ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित है, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण –इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, शब्द "जावक प्रदायों के ब्यौरे" के अंतर्गत किसी कर–अवधि के दौरान की गई जावक प्रदायों के संबंध में जारी बीजक, नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे सम्मिलित है।

जावक प्रदायों के ब्यौरे देना.

38. (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपनी आवक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा और उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा घोषित नहीं की गई है, के संबंध में प्राप्त आवक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा।

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलैक्ट्रानिक रूप में कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदायों, जिन पर इस अधिनियम के अधीन विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल यो सेवा या दोनों की आवक प्रदायों या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर संदेय है तथा उस कर अवधि के दौरान ऐसी प्रदायों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे, कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन के पश्चात् किन्तु पन्द्रहवें दिन से पूर्व, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, देगा :

परंतु आयुक्त, कारणों को लिखत में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किएं जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केंदीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई प्रदायों के और उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे।

(4) धारा 39 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गई विवरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई प्रदायों के ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (2) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे–मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि लोप के कारण कर का कम संदाय

हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित है, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

विवरणियां देना.

39. (5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलैंडर मास के अंत के पश्चात् बीस दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस अंतिम तारीख के पूर्व करेगा, जिस पर उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (2) के पंरतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य में आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदायों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।

(9) धारा 34 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि विहित की जाए ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परंतु ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित है, की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस तारीख तक जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, क मध्य अवधि में जावक प्रदाय की हैं रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात्

उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा।

इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति.

41. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अंनतिम आधार पर उसकी इलैक्ट्रानिक जमा बही में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा।

इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना.

42. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में "प्राप्तिकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दिए गए प्रत्येक आवक प्रदाय के ब्यौरे –

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में "प्रदायकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक प्रदाय के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ;

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए, मिलान किया जाएगा।

(2) उस आवक प्रदाय, जो तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में, संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामे पत्रों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।

(3) जहां आवक प्रदाय के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी प्रदाय के लिए प्रदायकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या प्रदायकर्ता द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक प्रदाय घोषित नहीं की गई है, वहां अंतर दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा।

(4) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।

(5) कोई रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में प्रदायकर्ता द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर में ऐसी रीति मे जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण आधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा।

(7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्रदायकर्ता धारा 39 की उपधारा (9) में

विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी राकेड़ बही में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

आउटपुट कर दायित्व में मिलान, उलटाव और कटौतियों का प्रतिदाय.

43. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में "प्रदायकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा किसी करावधि के लिए बाहर के लिए प्रदाय के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जाएगा–

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जो इसके पश्चात इस धारा में "प्राप्तिकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए उसी करावधि या अन्य पश्चात्वर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए।

(2) प्रदायकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान करता है, को अंतिमतः स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रदायकर्ता को दी जाएगी।

(3) जहां बाहर के लिए प्रदायों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी प्रत्यय टिप्पण की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नही की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति की संसूचना प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्वर्ती मास में, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम, जो दावों की आवर्ती के लेखे पाई जाती है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसी आवर्ती संसूचित की जाती है।

(7) प्रदायकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है।

(8) कोई प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती का स्वीकार किया जाता है वहां उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रदायकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्रदायकर्ता की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्रदायकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम में धारा 50 की उपधरा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए प्रक्रिया

43क. (1) धारा 16 की उप–धारा (2), धारा 37 या धारा 38 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, प्रदायकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदायों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय लेने के प्रयोजनों के लिए, कॉमन पोर्टल पर प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाए।

(4) उप–धारा (3) के अधीन प्रस्तुत न किये गये जावक प्रदायों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसे इस प्रकार लिया जा सकता है, जो उक्त उप–धारा के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसे जावक प्रदायों, जिसके लिए प्रदायकर्ता द्वारा उप–धारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, में विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।

(6) किसी प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः जावक प्रदायों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर

का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिसके ब्यौरे उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु उसकी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(7) उप–धारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जैसा कि विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलति से प्राप्त की गई एक हजार रूपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा।

(8) ऐसे जावक प्रदायों, जिनके ब्यौरे उप–धारा (3) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, सुरक्षा उपाय और कर की रकम की अवसीमा,––

(एक) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छः मास के भीतर;

(दो) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया हो और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है,

वही होगी जैसा कि विहित की जाए।

विलंब फीस का उद्ग्रहण

47. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित बहिर्गामी या अंतर्गामी प्रदायों या धारा 39 या धारा 45 के अधीन के ब्यौरे सम्यक् तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रूपए विलंब फीस का संदाय करेगा।

माल और सेवा कर व्यवसायी.

48. (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन बहिर्गामी प्रदायों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

* * * * * *

अध्याय 10
कर संदाय

कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय.

49. (2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्व–निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा 41 या धारा 43क के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा।

(4) इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनिमय के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर संबंधी इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में

अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।

विलंबित कर संदाय पर ब्याज

50. (3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनाधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।

स्त्रोत पर कर का संग्रहण.

52. (6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई है, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अध्यधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परंतु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

कर प्रतिदाय.

54. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा :

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कांसुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गामी प्रदायों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमही, जिसमें प्रदाय प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छः मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा।

(10) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कोई प्रतिदाय शोध्य है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई राके नही लगाई है, समुचित अधिकारी---

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शस्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को रोके रख सकेगा ;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत्त रहती है, कटौती कर

सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(2) "सुसंगत तारीख" से अभिप्रेत है—

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की प्रदाय की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिस पर ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है ;

(14) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का, आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रूपए से कम है ।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(1) "प्रतिदाय" में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की प्रदाय पर कर प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है।

(2) "सुसंगत तारीख" से अभिप्रेत है–

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिंति, जहां ऐसे मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,—

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है ; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं ; या

(iii) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख ;

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की प्रदाय की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिस पर ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है ;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख–

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में या भारतीय रूपये में, जहां कही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञप्त हो, संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की प्रदाय को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था ;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के संसूचना की तारीख ;

(ङ) उप–धारा (3) के प्रथम परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें प्रतिदाय के लिए ऐसा दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख ;

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख ; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख ।

* * * * * *

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.